सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2025 / 72 दर्ज तिथिः—24.02.2025

1. खेताराम पुत्र उदाराम
2. खेमाराम पुत्र आईदानराम
3. खींयाराम पुत्र आईदानराम
4. गुमनी पत्नी मालाराम
5. गोगाराम पुत्र आईदानराम
6. पूनमाराम पुत्र डालुराम
7. प्रभूराम पुत्र उदाराम
8. भोमाराम पुत्र आईदानराम
9. रमेश पुत्र मालाराम
10. श्रवण पुत्र मालाराम
11. हतु पत्नी आईदानराम
12. हनुमानराम पुत्र मालाराम
    जाति जाट निवासी गोदारों की बस्ती बारासण
13. हनुमानराम पुत्र डालूराम
    जाति प्रजापत निवासी गोदारों की बस्ती, बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

............................प्रार्थीगण

बनाम

1. धर्माराम पुत्र सदाराम
2. भीखाराम पुत्र सदाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र जेठाराम
4. केसीदेवी पत्नी देवाराम
5. खेताराम दत्तक पुत्र चम्पा
6. चेनी पत्नी हुकमाराम
7. चिमनाराम पुत्र जेठाराम
8. जगदीश पुत्र देवाराम
9. झीमादेवी पत्नी जेठाराम
10. धर्माराम पुत्र जेठाराम
11. भोमाराम पुत्र जेठाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested

12. मेघाराम पुत्र हुकमाराम
13. राणाराम पुत्र देवाराम
14. लूम्बाराम पुत्र पोलाराम
15. हेमाराम पुत्र जेठाराम
16. घमण्डाराम पुत्र पोकरराम

जाति जाट निवासी गोदारों की बस्ती, बारासण तहसील गुड़ामालानी

17. गौतम कुमार पुत्र कालूराम
18. दम्मी पत्नी जुंजाराम
19. भैराराम पुत्र कालूराम
20. लक्ष्मण गौड़ पुत्र कालूराम

जाति ब्राहम्ण निवासी गोदारों की बस्ती, बारासण तहसील गुड़ामालानी

21. ओमप्रकाश पुत्र मेघाराम
22. गिरधारीराम पुत्र मेघाराम
23. चूनी पत्नी मेघाराम
24. जेठाराम पुत्र मेघाराम
25. धर्मी पत्नी जालाराम
26. भंवराराम पुत्र जालाराम
27. राणाराम पुत्र मेघाराम
28. सवाई पुत्र मेघाराम
29. इमियोदेवी पत्नी हनुमानराम
30. कनकां पत्नी दुर्गाराम
31. कोजाराम पुत्र दुर्गाराम
32. गोकलाराम पुत्र लाधाराम
33. घमण्डाराम पुत्र लाधाराम
34. चिमनाराम पुत्र धर्माराम
35. जुगताराम पुत्र धर्माराम
36. ठाकराराम पुत्र दुर्गाराम
37. डूंगराराम पुत्र लाधाराम
38. डालूराम पुत्र लाधाराम
39. पेमाराम पुत्र दुर्गाराम
40. प्रभूराम पुत्र धर्माराम
41. बाबूलाल पुत्र दुर्गाराम
42. मघाराम पुत्र लाधाराम
43. मोतीराम पुत्र लाधाराम

जाति कुम्हार निवासी गोदारों की बस्ती, बारासण तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

..................असल अप्रार्थीगण

44. तहसीलदार गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested

खेताराम बनाम धर्माराम
2025/72
निर्णय दिनांकः–13.06.2025
....................तरमीम अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री डालुराम चौधरी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–13.06.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 233/190/17.8385 है0 मौजा गोदारों की बस्ती पटवार मण्डल बारासण तहसील गुडामालानी में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेशांक दिनांक 12.11.2024 की पालना में दिनांक 16.11.2024 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 16.11.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक दिनांक 16.11.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.—(1)*** *In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी सम्वंत 2074—2077 में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 16.11.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested

की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 233/190/17.8385 है0 मौजा गोदारों की बस्ती पटवार मण्डल बारासण तहसील गुडामालानी पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 13.06.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.22 18:47:23 IST
Reason: SelfAttested